एच.12.5: अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादियों के निवेदन पर नकली 15.12.5 को नियत की जाती है।

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.